न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश संख्या –5, अजमेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : भानु कुमार, आर.जे.एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक प्रकरण संख्याः – 249/2026
एफ.आई.आर. नंबरः – 67/2026 P.S. पुष्कर
सी.आई.एस. संख्याः – 249/2026

1. साहिल पुत्र रवि कुमार उम्र 22 वर्ष निवासी महात्मा गांधी स्कूल, वार्ड नं.10 ग्राम मलौट पुलिस थाना मलौट शहर जिला मुक्तसर साहिब पंजाब।
2. सौरव पुत्र रमेश कुमार उम्र 21 वर्ष निवासी गली नं.4, वार्ड नं.11 ग्राम मलौट पुलिस थाना मलौट शहर जिला मुक्तसर साहिब पंजाब।
3. गोविन्द उर्फ बिला पुत्र अनेकसिंह उम्र 19 वर्ष निवासी महात्मा गांधी स्कूल, वार्ड नं.10 ग्राम मलौट पुलिस थाना मलौट शहर जिला मुक्तसर साहिब पंजाब।

......प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, अजमेर।

........अभियोगी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित–
1. श्री मंगलनाथ योगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।
2. अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांक : 09.03.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह संयुक्त तौर पर जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. का पेश किया। जमानत प्रार्थना पत्र की नकल अभियोजन पक्ष को उपलब्ध कराई जाकर उस पर उभय पक्षों को सुना गया। केस डायरी तलब की जाकर अवलोकन किया गया।

2. दौराने बहस प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए तर्क दिया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उनको इस प्रकरण में मिथ्या लिप्त किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी भी प्रकार का अनुसंधान व बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध आजीवन कारावास व मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है। प्रार्थीगण न्यायालय के आदेश की पालना करने हेतु तैयार व तत्पर हैं। प्रकरण के

अनुसंधान एवं विचारण में लम्बा समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 01.03.2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप हैं, इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 01.03.2026 को आसनखेडा मोड गनाहेडा पुष्कर में ग्रामीणों द्वारा दो व्यक्तियों को पकडकर पुलिस को इत्तला दिए जाने पर पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों व्यक्तियों को पकडकर नाम पते पूछने तथा तलाशी लिए जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त साहिल की पेंट की बांई जेब से एक देशी कट्टा मय जिन्दा कारतूस मिलने से तथा अन्य अभियुक्त सौरव को प्रार्थी/अभियुक्त साहिल द्वारा एक कारतूस उसे दिए जाना बताने पर दिनांक 01.03.2026 को गिरफ्तार कर थाना लाए, तत्पश्चात् गिरफ्तारी के पश्चात् गोविन्द उर्फ बिला के उक्त कट्टा व कारतूस होना बताने पर गिरफ्तार करते हुए पुलिस द्वारा तीनों प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम का मामला प्रमाणित मानते हुए उनको विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने पर उनको न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने से न्यायिक अभिरक्षा में चले आ रहे हैं।

5. हस्तगत प्रकरण में तीनों प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध का आरोप प्रमाणित माना है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 01.03.2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चले आ रहा हैं। तीनों मुलजिमान में से एक साहिल के कब्जे से कट्टा, कारतूस बरामद हुए हैं तथा शेष दो अभियुक्तगण से किसी हथियार की बरामदगी नहीं हुई है, बल्कि मात्र एक–दूसरे के कहने मात्र के आधार पर आयुध अधिनियम के तहत उन दोनों सौरव व गोविन्द की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है। इस प्रकार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से प्रकरण में कोई बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं रहा है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध लंबित प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड होने संबंधी रिपोर्ट शून्य है। अतः इस स्टेज पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से पेश किया गया यह संयुक्त जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।

Authenticated Document

आदेश

6. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण/अभियुक्तगण साहिल, सौरव व गोविन्द उर्फ बिला की ओर से पेश किया गया यह संयुक्त जमानत पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता **स्वीकार** कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्येक तीस हजार रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का मुचलका विचारण न्यायालय की सन्तुष्टिप्रद पेश कर तस्दीक करवा दे कि न्यायालय द्वारा वांछा किये जाने पर उपस्थित आयेगा, प्रकरण में किसी प्रकार का कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा, न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से पलायन नहीं करेगा, साक्षी एवं साक्षियों से किसी प्रकार की छेडछाड नहीं करेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, तो उनको इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जाता है।

(भानु कुमार)
अपर सैशन न्यायाधीश सं.–5
अजमेर (राज.)

8. आदेश आज दिनांक 09.03.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया।

(भानु कुमार)
अपर सैशन न्यायाधीश सं.–5
अजमेर (राज.)

NAVEEN KUMAR SHARMA
Digitally signed by NAVEEN KUMAR SHARMA
Date: 2026.03.09 17:19:48 +0530

Authenticated Document